प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 271/2023

[बाल न्यायालय, कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ द्वारा विशेष सत्र विचारण संख्या 02/2021 में पारित दिनांक 30.12.2022 के निर्णय से उत्पन्न।]

ए.

----अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य ,पुलिस थाना कटघोरा के द्वारा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :- श्री विकास पांडे, अधिवक्ता।

राज्य-उत्तरवादी हेतु :- श्री राहुल तमस्कर, शासकिय अधिवक्ता तथा श्री आशुतोष शुक्ला, पैनल अधिवक्ता।

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

03/07/2025

1.यहां अपीलकर्ता - विधि से संघर्षरत बच्चा (संक्षेप में, "सीसीएल") को बाल न्यायालय, कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 30.12.2022 के आक्षेपित निर्णय द्वारा आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसमें ₹ 500/- के जुर्माने के साथ 10 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है; जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर उसे एक महीने के अतिरिक्त कारावास की दंड भुगतना होगी, क्योंकि यह किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में "2015 का अधिनियम") की धारा 2(33) में परिभाषित जघन्य अपराध है।

अभियोजन प्रकरण:---

2. सीसीएल किशोर थी और उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध में शामिल पाया गया, तदनुसार, उसे उक्त अपराध के लिए क्षेत्राधिकार वाले किशोर न्याय बोर्ड (संक्षेप में "जेजेबी") के समक्ष आरोप-पत्र दायर किया गया था।जेजेबी ने यह पाया कि सीसीएल की जन्मतिथि 15.07.2004 (एक्स.पी/26 देखें) और अपराध की तिथि 22.08.2020 होने के कारण उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम है, जिसका अर्थ है कि अपराध की तिथि पर सीसीएल की आयु लगभग 16 वर्ष 1 माह 7 दिन थी। बोर्ड ने 2015 के अधिनियम की धारा 15(1) के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन किया और सामाजिक जांच रिपोर्ट (संक्षेप में "एसआईआर") के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट भी मांगी, जिसमें सीसीएल की ऐसे अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता और जिन परिस्थितियों में उसने कथित रूप से अपराध किया, उनके संबंध में जानकारी दी गई।हालाँकि, 25.11.2020 को एसआईआर जेजेबी को प्राप्त हो गई, लेकिन मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था।अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि 20.01.2021 को, जेजेबी ने सीसीएल के मामले का प्रारंभिक मूल्यांकन किया था और 2015 के अधिनियम की धारा 18(3) के तहत आदेश पारित किया था और मामले को अपराध की सुनवाई के लिए अधिकार क्षेत्र वाले बाल न्यायालय यानी बाल न्यायालय, कटघोरा, जिला कोरबा को स्थानांतरित कर दिया था, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था, जिसमें पाया गया कि अपराध के समय सीसीएल की आयु लगभग 16 वर्ष 1 माह और 7 दिन थी और सीसीएल का उक्त कृत्य 2015 के अधिनियम की धारा 2(33) के तहत जघन्य अपराध है, हालांकि, एसआईआर की प्रति सीसीएल या उसके वकील या उसके अभिभावक को नहीं दी गई थी और मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा था।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. बाल न्यायालय, कटघोरा, जिला कोरबा ने जेजेबी से मामला प्राप्त होने और अधिनियम, 2015 की धारा 15(1) के तहत की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद 18.02.2021 को आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 302 के तहत अपराध के लिए सीसीएल के खिलाफ आरोप निर्धारित किए और यह अभिनिर्धारित किया गया कि सीसीएल ने जघन्य अपराध किया है और अधिनियम 2015 की धारा 19(1) के तहत आगे कोई जांच नहीं की है।बाल न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार बच्चे पर एक वयस्क के रूप में विचारण चलाने की आवश्यकता है और विचारण के बाद, आक्षेपित निर्णय पारित किया और सीसीएल को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उसे 500 रुपये के जुर्माने के साथ 10 वर्ष के साधारण कारावास का दंड पारित किया गया ; जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर एक महीने के अतिरिक्त कारावास की दंड भुगतना होगी।

4. दोषसिद्धि और दंड के आदेश के विरुद्ध व्यथित होकर, सी.सी.एल. अर्थात वर्तमान अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 374(2) के तहत यह अपील दायर की है, जिसमें इसकी वैधानिकता, वैधता और शुद्धता पर प्रश्न उठाए गए हैं।

पक्षकारों की प्रस्तुतिः---

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास पांडे ने प्रस्तुत किया कि न तो जेजेबी ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 (संक्षेप में "2016 के नियम") के नियम 10 और 10 ए के साथ पठित 2015 के अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जांच की और न ही बच्चों के न्यायालय ने 2016 के नियमों के नियम 13 के साथ पठित 2015 के अधिनियम की धारा 19 (1) (i) के तहत कोई और जांच की और इसलिए, पूरे विचारण को रद्द करने का हकदार है और अपीलकर्ता दोषमुक्ति हेतु हकदार है।

6. विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री राहुल तामस्कर और श्री आशुतोष शुक्ला ने प्रस्तुत किया कि प्रारंभिक मूल्यांकन 2015 के अधिनियम की धारा 15(1) के तहत किया गया था और जेजेबी द्वारा एसआईआर मंगाई गई थी, उसके बाद, 2015 के अधिनियम की धारा 18(3) के तहत आदेश पारित किया गया था और मामला अधिकार क्षेत्र वाले बाल न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया था।यद्यपि, बाल न्यायालय, कटघोरा, जिला कोरबा ने अधिनियम 2015 की धारा 19(1) के तहत अपेक्षित कोई और जांच नहीं की, लेकिन अपीलकर्ता को इससे कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है, इसलिए, दोषसिद्धि और दंड के आदेश का आक्षेपित निर्णय यथावत रखा जाना चाहिए और वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता हेतु सुना है, ऊपर दिए गए उनके प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है तथा अभिलेख हेतु सावधानीपूर्वक देखा है।

चर्चा और विश्लेषणः---

8. यह स्वीकार किया गया है कि अपराध की दिनांक 22.08.2020 है और दाखिल खारिज रजिस्टर (एक्स.पी/26) के अनुसार अपीलकर्ता/सीसीएल की जन्मतिथि 15.07.2004 है, इसलिए अपराध दिनांक को सीसीएल की आयु लगभग 16 वर्ष 1 माह और 7 दिन थी और इस निर्णय के शुरुआती कंडिका में उल्लिखित अपराध एक जघन्य अपराध है।जेजेबी को 2015 के अधिनियम की धारा 15(1) के साथ 2016 के नियम 10 और 10 ए के अनुसार जांच करने की आवश्यकता थी।हालांकि, जेजेबी के अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि मनोवैज्ञानिक और एसआईआर की रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन जेजेबी को केवल एसआईआर प्राप्त हुई और मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट 20.01.2021 तक प्रतीक्षित थी, जिस दिनांक को 2015 के अधिनियम की धारा 18(3) के तहत अधिकार क्षेत्र वाले बाल न्यायालय को मामला स्थानांतरित करने का आदेश एसआईआर की प्रति अपीलकर्ता/सीसीएल को दिए बिना पारित किया गया था, जो कि दी जानी चाहिए थी और एसआईआर का जवाब देने का उचित अवसर अपीलकर्ता/सीसीएल को दिया जाना चाहिए था और जेजेबी को मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन जेजेबी द्वारा उक्त प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।

9. इस संबंध में, बरुन चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोलू और अन्य 1 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें उनके माननीय न्यायाधीशों ने बोर्ड द्वारा जांच करने के तरीके और प्रक्रिया पर विचार किया है, चाहे कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को बच्चों के न्यायालय द्वारा या बोर्ड द्वारा स्वयं उसे

एक बच्चा मानते हुए एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाए और यह माना गया है कि यदि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को बच्चों के न्यायालय द्वारा एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाता है, तो इसमें गंभीर प्रकृति के परिणाम शामिल होते हैं और बच्चे के पूरे जीवन पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ता है, और इसके गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं, इसलिए, उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।यह निम्नानुसार देखा गया है:---

"प्रारंभिक मूल्यांकन के आदेश का प्रभाव--

47. प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश यह निर्णय करता है कि क्या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, जो 16-18 वर्ष की आयु वर्ग में आता है तथा जिसने जघन्य अपराध किया है, पर बाल न्यायालय द्वारा वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा या बोर्ड द्वारा उसे बालक मानते हुए विचारण चलाया जाएगा।यदि बाल न्यायालय द्वारा बच्चे पर वयस्क के रूप में विचारण चलाया जाता है, तो 2015 के अधिनियम में दो प्रमुख परिणाम दिए गए हैं।पहला, यदि बाल न्यायालय द्वारा बच्चे पर वयस्क के रूप में विचारण चलाया जाता है, तो सज़ा आजीवन कारावास तक हो सकती है, जबकि यदि बोर्ड द्वारा बच्चे पर बाल न्यायालय के रूप में विचारण चलाया जाता है, तो अधिकतम 3 वर्ष की दंड पारित किया जा सकती है।दूसरा प्रमुख परिणाम यह है कि जहां बोर्ड द्वारा बच्चे पर एक बच्चे के रूप में विचारण चलाया जाता है, तो धारा 24(1) के तहत, उसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि से जुड़ी कोई अयोग्यता नहीं मिलेगी, जबकि धारा 24(1) के प्रावधान के अनुसार, अयोग्यता का उक्त निष्कासन उस बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिस पर बाल न्यायालय द्वारा एक वयस्क के रूप में विचारण चलाया जाता है।एक अन्य परिणाम, जिसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, वह यह है कि धारा 24(2) के अनुसार, बोर्ड या बाल न्यायालय, मामला समाप्त होने के बाद, पुलिस या रजिस्ट्री को निर्देश दे सकता है कि ऐसी दोषसिद्धि के सुसंगत अभिलेख अपील की अवधि या निर्धारित उचित अवधि के बाद नष्ट कर दिए जाएँ।जबकि, जब किसी बच्चे पर वयस्क के रूप में विचारण चलाया जाता है, तो धारा 24(2) के प्रावधान के अनुसार, सुसंगत अभिलेख संबंधित न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखे जाएँगे।

48. ये परिणाम गंभीर प्रकृति के होते हैं और बच्चे के पूरे जीवन पर स्थायी प्रभाव डालते हैं।यह सर्वविदित है कि किसी भी आदेश के गंभीर नागरिक परिणाम होने पर, उचित अवसर अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि ऐसे मामले में उचित अवसर क्या होगा जहाँ बोर्ड द्वारा धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाना है।"

10.इसके बाद, माननीय न्यायाधीशों ने इस प्रश्न पर विचार किया कि ऐसे मामले में उचित अवसर क्या होगा जहाँ बोर्ड द्वारा 2015 के अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाएगा और यह माना गया कि धारा 15(1) के प्रावधान में "हो सकता है" अभिव्यक्ति और अनुभवी शरीरक्रिया विज्ञानियों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता लेने की आवश्यकता तब तक अनिवार्य मानी जाएगी जब तक कि बोर्ड में स्वयं कम से कम एक सदस्य बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा में डिग्री प्राप्त पेशेवर न हो।उनके माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"83. इसलिए, 2015 के अधिनियम और उसके विधायी इरादे के उद्देश्य को देखते हुए, विशेष रूप से बच्चे के सर्वोत्तम हित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, धारा 15(1) के प्रावधान में अभिव्यक्ति "हो सकता है" और अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनो–सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता लेने की आवश्यकता अनिवार्य के रूप में कार्य करेगी जब तक कि बोर्ड में कम से कम एक सदस्य शामिल न हो जो बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा में डिग्री के साथ एक अभ्यास करने वाला पेशेवर है।इसके अलावा, यदि बोर्ड अपनी संरचना को देखते हुए, जिसमें कम से कम एक सदस्य बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा में डिग्री के साथ एक पेशेवर अभ्यासरत है, ऐसी सहायता नहीं लेने का विकल्प चुनता है, तो वह इसके लिए विशिष्ट कारण दर्ज करेगा।

निष्कर्ष––

85. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि प्रारंभिक मूल्यांकन करने की शक्ति बोर्ड तथा बाल न्यायालय में क्रमशः धारा 15 तथा 19 के तहत निहित है।धारा 18(3) के अंतर्गत किसी मामले के संदर्भित होने पर, बाल न्यायालय स्वयं ही यह जाँच करेगा कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना है या नहीं, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जाना है, तो वह स्वयं एक बोर्ड के रूप में जाँच करेगा और धारा 18 के अंतर्गत उचित आदेश पारित करेगा।इस प्रकार, प्रारंभिक मूल्यांकन करने की शक्ति बोर्ड तथा बाल न्यायालय के पास है।यह न्यायालय प्रारंभिक मूल्यांकन के अभ्यास पर विचार नहीं कर सकता है।यह न्यायालय केवल इस बात की जांच करेगा कि प्रारंभिक मूल्यांकन कानून के तहत अपेक्षित रूप से किया गया है या नहीं।यहां तक कि उच्च न्यायालय भी, धारा 102 के तहत पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए, बोर्ड या बाल न्यायालय के निर्णय का परीक्षण केवल उसकी वैधता या औचित्य के संदर्भ में ही करेगा।वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर सीमित सामग्री पर विचार करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और जिसके लिए, उसने मामले को बोर्ड को वापस भेज दिया है, साथ ही अतिरिक्त साक्ष्य लेने और नया निर्णय लेने से पहले बच्चे को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं।"

11.वर्तमान मामले में, नियम 2016 के नियम 10(5) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जिसमें प्रावधान है कि सोलह वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चे द्वारा कथित रूप से किए गए जघन्य अपराधों के मामलों में, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बोर्ड के समक्ष बच्चे को पहली बार पेश किए जाने की दिनांक से एक महीने की अवधि के भीतर उसके द्वारा दर्ज किए गए साक्षी के बयान और जांच के दौरान तैयार किए गए अन्य दस्तावेज पेश करेगा और जिसकी एक प्रति बच्चे या बच्चे के माता–पिता या अभिभावक को भी दी जाएगी। साथ ही वर्तमान मामले में 2016 के नियमों के नियम 10(9) का पालन नहीं किया गया है, जो यह प्रावधान करता है कि बोर्ड बच्चे को पकड़ने की परिस्थितियों और उसके द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध और परिवीक्षा अधिकारी या स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन द्वारा तैयार किए गए फॉर्म 6 में सामाजिक जांच रिपोर्ट के साथ–साथ किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को ध्यान में रखेगा और जेजेबी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ने केवल 2015 के अधिनियम की धारा 18(3) के तहत क्षेत्राधिकार वाले बच्चों के न्यायालय को मामला स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया है, जो कि 2016 के नियमों के साथ पढ़े गए 2015 के अधिनियम में निहित प्रावधानों के साथ-साथ बरुण चंद्र ठाकुर (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांतों का एक स्पष्ट उल्लंघन है।

12.इतना ही नहीं, वर्तमान मामले में, 2015 के अधिनियम की धारा 19 (1) का भी पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है।अजीत गुर्जर बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 2015 के अधिनियम की धारा 15 और 19(1) के तहत निर्धारित प्रक्रिया प्रकृति में अनिवार्य है और निम्नानुसार है:---

"9. धारा 19 की उप-धारा (1) के दो भाग हैं।पहले भाग में बाल न्यायालय को यह निर्णय लेना होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार बच्चे पर वयस्क के रूप में विचारण चलाने की आवश्यकता है या नहीं।यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि बच्चे पर दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार वयस्क के रूप में विचारण चलाने की आवश्यकता है, तो बाल न्यायालय विचारण को आगे बढ़ा सकता है और उसके बाद किशोर न्याय अधिनियम की धारा 19 और 21 के प्रावधानों के अधीन उचित आदेश पारित कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. धारा 19 की उप-धारा (1) का खंड (ii) बहुत महत्वपूर्ण है जो इंगित करता है कि यद्यपि "हो सकता है" शब्द का उपयोग धारा 19 की उप-धारा (1) के प्रारंभिक भाग में किया गया हो, लेकिन इसे "होगा" के रूप में पढ़ना होगा।खंड (ii) में प्रावधान है कि यह जांच करने के पश्चात् कि क्या वयस्क के रूप में बच्चे पर विचारण चलाने की आवश्यकता है, यदि बाल विचारण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में विचारण चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मामले को बोर्ड को वापस भेजने के बजाय, विचारण को स्वयं जांच करने तथा जेजे अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार उचित आदेश पारित करने हेतु अधिकार है। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा वयस्क के रूप में एक बच्चे के विचारण तथा किशोर के रूप में उसके विचारण के अलग-अलग परिणाम होते हैं।

11. इसलिए, धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (i) के संदर्भ में जांच करना एक खाली औपचारिकता नहीं है।इसका कारण यह है कि यदि बाल न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में विचारण चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वह इस अर्थ में अलग व्यवहार का हकदार होगा कि उसके विरुद्ध केवल जेजे अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में कार्यवाही की जा सकती है।

12. उच्च न्यायालय का यह अवलोकन कि धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत पारित आदेश अंतिम हो गया है, इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है कि धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत पारित आदेश, बच्चे पर वयस्क के रूप में विचारण चलाने के प्रश्न पर अंतिम निर्णय नहीं है।इसका कारण यह है कि धारा 18 की उप-धारा (3) के तहत आदेश धारा 15 के तहत किए गए प्रारंभिक मूल्यांकन पर आधारित है।

चूंकि ऐसा आदेश केवल प्रारंभिक मूल्यांकन पर आधारित है, इसलिए विधि सक्षम बाल न्यायालय द्वारा धारा 19 की उप–धारा (1) के संदर्भ में आगे की जांच हेतु प्रावधान करता है।इसलिए, बाल न्यायालय धारा 19 की उप–धारा (1) के खंड **(i)** के त**हत जांच करने की आवश्यकता को दरकिनार नहीं कर सकता है।"**

13.वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि जेजेबी से मामला प्राप्त होने पर, बाल न्यायालय ने केवल जेजेबी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा किया और अजीत गुर्जर (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्देशित 2016 के नियमों के नियम 13 के साथ पठित 2015 के अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अनिवार्य रूप से आगे की जांच करने का कष्ट नहीं उठाया गया और 2015 के अधिनियम की धारा 19(1) के तहत निर्णय लिए बिना 28.01.2021 को आदेश पारित किया और 2016 के नियमों के नियम 13 के उल्लंघन में मामला दर्ज किया और आगे 18.02.2021 को अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप निर्धारित किया गया, जिसमें कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार बच्चे पर एक वयस्क के रूप में विचारण चलाने की आवश्यकता है।हालाँकि, प्रारंभिक जाँच की प्रति सीसीएल को उपलब्ध नहीं कराई गई और प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट पर तर्क देने के लिए उनके वकील को सुनवाई का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया।इस प्रकार, बाल न्यायालय का दिनांक 1 का आदेश, आरोप निर्धारित करना, पूरी तरह से विपरीत है तथा 2016 के नियमों के नियम 13 (1) तथा 13 (6) के साथ पठित 2015 के अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।2015 के अधिनियम की धारा 19 (1) के साथ–साथ नियम 13 (1) तथा 13 (6) के तहत निहित प्रावधानों पर यहां ध्यान दिया जाना चाहिए:– 2015 के अधिनियम की धारा 19:–––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"19. बाल न्यायालय की शक्तियाँ।—(1) धारा 15 के तहत बोर्ड से प्रारंभिक मूल्यांकन की प्राप्ति पश्चात् बाल न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि –

(i) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 हेतु 2) के प्रावधानों के अनुसार एक वयस्क के रूप में बच्चे पर विचारण चलाने तथा इस धारा तथा धारा 21 के प्रावधानों के अधीन विचारण के पश्चात् उचित आदेश पारित करने की आवश्यकता है।

(ii) बालक पर वयस्क के रूप में विचारण चलाने की आवश्यकता नहीं है और वह बोर्ड के रूप में जांच कर सकेगा तथा धारा 18 के उपबंधों के अनुसार समुचित आदेश पारित कर सकेगा।"

2016 के नियमों का नियम 13:–––

"13. बाल न्यायालय तथा निगरानी प्राधिकरणों के संबंध में प्रक्रिया।—(1) बोर्ड हेतु प्रारंभिक मूल्यांकन की प्राप्ति पर बाल विचारण यह निर्धारित कर सकता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में या बच्चे के रूप में विचारण चलाने की आवश्यकता है या नहीं तथा उचित आदेश पारित कर सकता है।

(2) ––––––––––––––

(3) -------------------

(4) ----------------

(5) ----------------

(6) बाल न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय अपने तर्क दर्ज करेगा कि बच्चे के साथ वयस्क की तरह व्यवहार किया जाए या बच्चे की तरह।

14. उपर्युक्त चर्चा और विश्लेषण के तहत, यह स्पष्ट है कि 2015 के अधिनियम की धारा 15(1) को 2016 के नियम 10 और 10(ए) के साथ-साथ 2015 के अधिनियम की धारा 19(1) को 2016 के नियम 13(1) और 13(6) के साथ-साथ पूर्ण उल्लंघन किया गया है, जिसे बरुण चंद्र ठाकुर (सुप्रा) और अजीत गुर्जर (सुप्रा) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में अनिवार्य माना गया है और जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत तिरुमूर्ति बनाम राज्य के मामले में फिर से दोहराया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. चूंकि सीसीएल की आयु वर्तमान में लगभग 21 वर्ष है, क्योंकि उसकी जन्मतिथि 15.07.2004 है, प्र.पी/26 के अनुसार, अपराध करने के लिए अभियुक्त/अपीलकर्ता की मानसिक और शारीरिक क्षमता का पता लगाने या अपराध के परिणामों और उन परिस्थितियों को समझने की उसकी क्षमता का आकलन करने की कोई संभावना नहीं है जिनमें उसने 22.08.2020 को कथित रूप से अपराध किया था।इस प्रकार, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि यह ऐसा मामला नहीं है, जहां मामले को 2015 के अधिनियम की धारा 15(1) के साथ 2016 के नियम 10 और 10 ए के अनुसार नए सिरे से जांच करने के लिए जेजेबी को भेजा जाए या 2015 के अधिनियम की धारा 19(1) के साथ 2016 के नियम 13(1) और 13(6) के अनुसार जांच करने के लिए बाल न्यायालय को भेजा जाए।इसके अलावा जेजेबी के स्तर से लेकर बाल न्यायालय तक की कार्यवाही 2015 के अधिनियम और 2016 के नियमों के अनुसार संचालित नहीं की गई है और न ही बरुन चंद्र ठाकुर (सुप्रा), अजीत गुर्जर (सुप्रा) और तिरुमूर्ति (सुप्रा) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांतों का पालन किया गया है और यहां तक कि घटना दिनांक पर अपीलकर्ता की मानसिक और शारीरिक क्षमता की जांच करने के लिए समय को भी पीछे नहीं मोड़ा जा सकता है।इसलिए, पूरा विचारण दोषपूर्ण है क्योंकि यह 2015 के अधिनियम के साथ-साथ 2016 के नियमों की अनिवार्य आवश्यकताओं का घोर उल्लंघन करते हुए चलाया गया है।

निष्कर्ष:---

16. उपरोक्त के तहत, मेरे पास बाल न्यायालय, कटघोरा, जिला कोरबा द्वारा पारित दिनांक 30.12.2022 के आक्षेपित निर्णय को निरस्त करने और अपास्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।अपीलार्थी, जो 22.08.2020 से जेल में है, और इस प्रकार 4 वर्ष से अधिक की सजा पूरी कर चुका है, को तत्काल रिहा किया जाए, यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो।

17. इस निर्णय की प्रमाणित प्रति मूल अभिलेख के साथ बाल न्यायालय और सभी किशोर न्याय बोर्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित की जाए।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur